ई-मेल द्वारा प्रेषित

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ 226 001
☎0522-4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक : ..213...../MI-45/AAP/2022-23 दिनांक : 30 सितम्बर, 2022

(1) समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर, झाँसी, अयोध्या एवं रामपुर।
(3) आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।

विषय :- "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"-माइक्रोइरीगेशन के सफल कार्यान्वयन के संबंध में अनिवार्य निर्देशों का अनुपालन किये जाने विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशालय के पार्श्वांकित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना के पारदर्शी कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक निर्देश निर्गत किये गये हैं। आशा है कि निर्गत समस्त निर्देशों का विधिवत् अध्ययन कर नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अनुस्मरणीय बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए निम्नवत् निर्देश अनुपालनार्थ प्रेषित हैं:-

1. शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022
2. पत्रांक182/MI/PFMS/2021-22 दिनांक 28.09.2021
3. पत्रांक 95/MI-45/2022-23 दिनांक 07.07.2022
4. पत्रांक 156/MI-AAP/2022-23 दिनांक 11.08.2022
5. पत्रांक 168/ MI-AAP/2022-23 दिनांक 25.08.2022
6. पत्रांक 211/ MI-AAP/2022-23 दिनांक 26.09.2022

1. शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाय और **अनुदान की धनराशि शासनादेश के प्रस्तर-9 के अनुसार डी.बी.टी प्रक्रिया से आधार सीडेड बैंक खाते में निम्नवत् अंतरित की जाय।**
   i. विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।
   ii. योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और प्रमुखता से कार्य करने वाले 10 निर्माता फर्मों के औसत मूल्य के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म से आपूर्ति/स्थापना का कार्य लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं व्यय करने पर शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में अनुदान की राशि आधार सीडेड ऋण खाते में अंतरित की जायेगी। अनुमन्य कृषक अंश की धनराशि लाभार्थी द्वारा नकद अथवा ड्राफ्ट के रूप में संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर को किया जायेगा।

लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना हेतु अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि अग्रिम रूप में निर्माता फर्म को निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर को हस्तगत किया जायेगा।

iii. लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट, जियो टैगिंग एवं निर्माता फर्म को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन पी.एफ.एम.एस/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के आधार सीडेड ऋण खाते में किया जायेगा।

iv. योजना में ऋण के संबंध में लाभार्थी कृषक तथा संबंधित द्वारा बैंक ऋण की औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

2. निदेशालय के पत्रांक 95 दिनांक 07.07.2022 के अनुसार प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त का अनुपालन निम्नवत् किया जायेगा।

i. पोर्टल पर आनलाइन पंजीकृत कृषकों की सूची के आधार पर कृषकों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त किया जाय।

ii. आनलाइन पंजीकृत कृषकों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर कृषकों की सूची पंजिका में क्रमबद्ध किया जाय और तद्नुसार प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर आनलाइन स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाय।

iii. स्वीकृति आदेश के पश्चात् निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पद्धति की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया जाय और निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा निर्माता फर्म के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आर्थेंटिकेटेड प्रस्तुत बिलों को अलग पंजिका में क्रमबद्ध किया जाय और प्रस्तुतकर्ता को प्राप्ति सुलभ कराते हुए प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर भुगतान की कार्यवाही की जाय।

3. पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष आनलाइन स्वीकृति आदेश के निर्गमन का कार्य साप्ताहिक रूप से जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा निरंतर प्रक्रिया के रूप में निम्नानुसार किया जाय-

(3.1) 31.03.2022 की तिथि तक आनलाइन पंजीकृत एवं स्वीकृत लाभार्थियों के प्रक्षेत्र पर योजनान्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना/आपूर्ति का कार्य पूर्ण एवं जिलाधिकारी द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन, जियो टैगिंग पूर्ण करते हुए बिल जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और उनके सापेक्ष वस्तु एवं सेवाकर (GST) की धनराशि संबंधित फर्म द्वारा जमा कर दी गयी है, उन लाभार्थी कृषकों को पोर्टल पर अपडेट करते हुए उसी वरीयता क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।

(3.2) 01.04.2022 एवं उसके बाद पंजीकृत कृषकों की सूची के अनुसार प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर योजना का लाभ पूर्व की भांति कृषकों को अनुमन्य किया जायेगा। शासनादेश संख्या 32/2022-1240/58-2022-429/2015 दिनांक 30.06.2022 निर्गत होने के पूर्व पंजीकृत कृषकों का पोर्टल पर अपडेशन, नवीन कृषक पावती एवं नया स्वीकृति आदेश संशोधित इकाई लागत एवं अनुदान पैटर्न पर निर्गत किया जायेगा।

(3.3) योजनान्तर्गत कृषकों को निर्गत स्वीकृति आदेश 31.03.2023 तक मान्य होगी।

4. पर ड्राप मोर क्राप के उपघटक "अदर इन्टरवेंशन" एवं पी.एम.कुसुम योजना का कार्यान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है और माइक्रोइरीगेशन योजना का सफल कार्यान्वयन तभी पूर्ण हो सकेगा जब विकसित जल स्रोतों एवं सोलर सिस्टम को ड्रिप/स्प्रिंकलर से सम्बद्ध किया जाय। इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक 50 दिनांक 16.06.2021, पत्रांक 201 दिनांक 18.08.2020, पत्रांक 226 दिनांक 11.12.2022 द्वारा 2017-18 से 2020-21 में निर्मित विकसित जल स्रोतों/तालाबों के लाभार्थियों की सूची प्रेषित की गयी है, जिन्हें प्रोत्साहित कर प्रत्येक दशा में चालू वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत लाभार्थियों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

5. अनुदान संख्या-10 (सामान्य) एवं अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी) के लिए जनपदवार निर्धारित व्यय लिमिट के सीमान्तर्गत ही धनराशि का उपयोग किया जाय। निर्धारित व्यय लिमिट के सापेक्ष व्यय एवं अवशेष धनराशि के लेखा समायोजन हेतु जनपद स्तर पर अनुदान संख्यावार 27-सब्सिडी, 44-प्रशिक्षण एवं 42-अन्य व्यय हेतु लेखा पंजिका संरक्षित की जाय और भुगतान के पश्चात् अवशेष बची धनराशि का विवरण पंजिका में अंकित की जाय ताकि मदवार निर्धारित लिमिट के अंतर्गत ही भुगतान सुनिश्चित हो। किसी भी दशा में निर्धारित व्यय लिमिट से अधिक भौतिक कार्य न कराये जाय और किसी भी प्रकार की लायबिलिटी सृजित न किये जाँय।

6. विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात् निर्गत पावती एवं स्वीकृति आदेश में अंकित अनुदान की धनराशि का मिलान पत्रांक 211 दिनांक 26.09.2022 के अनुसार लैटरल स्पेसिंग/साइज/क्षेत्रफल से अवश्य करायें ताकि अनुदान अंतरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। अनुमन्यता से अधिक भुगतान की दशा में प्रभारी माइक्रोइरीगेशन, लेखाकार, जनपदीय उद्यान अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. अन्य व्यय मद में अनुदान संख्या-10 एवं अनुदान संख्या 83 में मण्डलीय मुख्यालय के जनपदीय उद्यान अधिकारी को सब्सिडी मद में आवंटित धनराशि का लगभग 01 प्रतिशत तथा अन्य जनपदों को 0.5 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। मण्डलीय मुख्यालय के जनपदीय उद्यान अधिकारी को अन्य व्यय मद में आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत जनपदीय कार्यालय के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत मण्डलीय उप निदेशक उद्यान कार्यालय के लिये मात्राकृत है। कृपया तद्नुसार ही अन्य व्यय की धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. योजनान्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार इंगित/आवेदित पूरे क्षेत्रफल को माइक्रोइरीगेशन पद्धति से आच्छादन हेतु अनुदान के <u>अतिरिक्त कृषक अंश की उपलब्धता अनिवार्य पहलू</u> है। अतः विशेष ध्यान दिया जाय और प्रस्तुत बिल के साथ निर्माता फर्म/अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर को प्राप्त कृषक अंश की पावती/रसीद की प्राप्ति का पुष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।

9. वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी) की गणना इकाई लागत के सापेक्ष आपूर्तित सामग्री पर नियमानुसार की जायेगी, जो लाभार्थी कृषक द्वारा अतिरिक्त रूप से वहन किया जायेगा। पंजीकृत निर्माता फर्में एवं जनपदीय उद्यान अधिकारी समान रूप से अपने स्तर पर जी.एस.टी आंकलन एवं अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स के स्तर से किये जा रहे भुगतान पर निगरानी रखेगें और विपरीत परिस्थितियों में तत्काल संबंधित विभाग को संसूचित करेंगे।

10. <u>पंजीकृत निर्माता फर्म</u> का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे आपरेशनल गाइड लाइन्स-2021 के प्रस्तर-15 के अनुसार आफ्टर सेल्स सर्विसेज सुनिश्चित करते हुए लाभार्थी कृषक के प्रक्षेत्र पर स्थापित/आपूर्तित पद्धति की उपयोगिता, संचालन एवं पद्धति के रख-रखाव/आफ्टर सेल्स के संबंध में तकनीकी जानकारी सुलभ करायें। हिन्दी भाषा में जानकारीयुक्त साहित्य लाभार्थी को दिया जाय और संबंधित एग्रोनोमिस्ट/कृषि

अभियन्ता/सर्विस प्रोवाइडर का नाम एवं मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जाय ताकि आवश्यकतानुसार लाभार्थी कृषक उपयोग कर आफ्टर सेल्स सर्विस प्राप्त कर सके। ड्रिप सिंचाई, मिनी, माइक्रो स्प्रिंकलर पद्धति की स्थापना के बाद स्थल पर फील्ड-डे का कार्यक्रम आयोजित कर हेड यूनिट के संचालन, रख-रखाव, प्रेशर गेज, फ्लश वाल्व, लैटरल्स, इमीटर्स, फर्टिगेशन शेड्यूल आदि से भली-भांति भिज्ञ करेंगे।

11. पंजीकृत निर्माता फर्म का उत्तरदायित्व होगा कि योजना कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आपरेशनल गाइड लाइन्स-2021 के प्रस्तर-15.8 के अनुसार वारंटी पीरियड के अंतर्गत लाभार्थी कृषकों के प्रक्षेत्र पर लगाये गये ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के रख-रखाव एवं उपयोग हेतु निम्नानुसार अभियान (campaign) वित्तीय वर्ष में चलाये जाँय और कृषकों को माइक्रोइरीगेशन पद्धति से भिज्ञ किया जाय।

i. एक वित्तीय वर्ष में 5000 हेक्टेयर से अधिक आच्छादन करने वाली निर्माता फर्मः- 6 अभियान/वर्ष
ii. एक वित्तीय वर्ष में 1000 से 5000 हेक्टेयर आच्छादन करने वाली निर्माता फर्मः- 4 अभियान/वर्ष
iii. एक वित्तीय वर्ष में 1000 हेक्टेयर से कम आच्छादन करने वाली फर्मः- 2 अभियान/वर्ष

निर्माता फर्म द्वारा सम्पादित अभियान की तिथि/अवधि की लिखित जानकारी जनपदीय उद्यान अधिकारी, मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी और वित्तीय वर्ष के अंत में पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी।

निर्माता फर्म का नाम	आच्छादित जनपद का नाम	अभियान की तिथि	आच्छादित लाभार्थी कृषकों की संख्या	प्रमुख तकनीकी बिन्दु	फोटोग्राफ्स

12. निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स के मूल प्रिंटेड बिल ही स्वीकार किये जाँये जिस पर जी.एस.टी नम्बर, निर्माता फर्म का नाम एवं अन्य विवरण उपलब्ध हों। जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा मात्र निर्माता फर्म के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से प्रतिहस्ताक्षरित बिल ही स्वीकार किये जाँय, जिनके नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर मुख्यालय स्तर से निर्गत किये गये हों।

13. निर्माता फर्म द्वारा स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार उचित एवं तकनीकी रूप से व्यवहारिक कम्प्यूटराइज्ड ले-आउट डिजाइन अपलोड करेंगे, जिसमें जल स्रोत, हेड यूनिट, मेन लइन, सब-मेन लाइन्स, लैटरल्स, क्राप स्पेसिंग के साथ लाभार्थी कृषक का विस्तृत विवरण, पद्धति का विवरण, दिनांक, नाम व हस्ताक्षर स्पष्ट हो।

14. निर्माता फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई, मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर के स्थापित एक हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल आच्छादन पर 5X3 फीट का प्लास्टिक शीट का डिस्प्ले बोर्ड प्रक्षेत्र पर अथवा आस-पास उपलब्ध भवन की दीवार पर लगाया जाय। डिस्प्ले बोर्ड हरे रंग का एवं लिखावट सफेद रंग से की जाय। डिस्प्ले बोर्ड पर लाभार्थी के निम्न विवरण अनिवार्यतः अंकित किए जाँयः

5 फीट

3 फीट

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश
योजना का नामः पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन

लाभार्थी : .....
ग्रामः ..... विकासखण्डः..... जनपदः.....
आच्छादित क्षेत्रफलः .....हेक्टेयर वर्षः .....
सिंचाई पद्धति ड्रिप/मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर स्पेसिंग/आकारः.....
अनुदान राशि : रू.....
सौजन्य सेः निर्माता फर्म का नाम

15. <u>स्थलीय सत्यापनः</u>

जनपदीय उद्यान अधिकारी एवं मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान क्रमशः 100 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत स्थलीय सत्यापन का कार्य निदेशालय के पत्रांक 156 दिनांक 11.08.2022 द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार किया जायेगा। सत्यापन के समय क्षेत्रफल, लैटरल/इमीटिंग पाइप एवं मेन/सब-मेन पाइप की मात्रा तथा सिस्टम को चलाकर वेंचुरी एवं प्रेशर गेज पर प्रेशर की चेकिंग अवश्य की जाये। अपूर्ण सिस्टम जिसमें अधूरे कार्य/खुले मेन/सब-मेन पाइप या बिना लैटरल/इमीटिंग पाइप पाये जाने पर भुगतान की संस्तुति कदापि न की जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि योजना क्रियान्वयन के लिए उपरिसंदर्भित पत्रों एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के दृष्टिगत उपरोक्त महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायें। निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों से विचलन एवं स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन में पाई गयी कमियों पर कठोर कार्यवाही करते हुए संबंधित निर्माता फर्म/अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर सहित, योजना प्रभारी, लेखाकार, जनपदीय उद्यान अधिकारी एवं मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही बाध्यकर होगी।

(आर.के तोमर)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या.....213...../उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि-:

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. समस्त उपनिदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश को प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त पंजीकृत निर्माता फर्में, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं योजना कार्यान्वयन में उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.के तोमर)
निदेशक